

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

**शुद्धि-पत्र आदेश**

पटना, दिनांक 15/05/2018

सं0सं0-2/टि-15/17-562(L)स्वा0 विभागीय आदेश अधिसूचना संख्या 567 (2)  
दिनांक 30.06.17 के क्रमांक 20 पर अंकित डा0 राजदेव प्रसाद सिंह का स्थानांतरण प्राथमिक  
स्वास्थ्य केन्द्र गरखा सारण से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनियापुर सारण में चिकित्सा  
पदाधिकारी के पद पर किया गया। परन्तु समीक्षोपरांत यह पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य  
केन्द्र बनियापुर में चिकित्सकों के स्वीकृत बल से अधिक चिकित्सकों का पदस्थापन हो गया  
है। फलस्वरूप डा0 राजदेव प्रसाद सिंह के उक्त स्थानांतरण को तत्काल प्रभाव से विलोपित  
किया जाता है।

डा0 राजदेव प्रसाद सिंह को निदेश दिया जाता है कि वे अपने पूर्व पदस्थापित स्थान  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरखा सारण में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से  
योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

सिविल सर्जन सारण छपरा को निदेश दिया जाता है कि डा0 राजदेव प्रसाद सिंह को  
अविलंब अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित करते हुए इसकी सूचना विभाग  
को भी उपलब्ध करायें।

**शेष यथावत रहेगा।**

ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक 15/05/2018


ज्ञापांक- 2/टि0-15/17- 562(L)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0एवंह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0)  
विभाग बिहार, पटना को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमण्डल छपरा /जिला पदाधिकारी, सारण  
छपरा/सिविल सर्जन, सारण छपरा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक  
स्वास्थ्य केन्द्र गरखा एवं बनियापुर सारण छपरा/कोषांगार पदाधिकारी सारण  
छपरा/ डा0 राजदेव प्रसाद सिंह चिकित्सा पदाधिकारी/माननीय मंत्री स्वास्थ्य  
के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- G.P. -12 पटना उच्च न्यायालय पटना को CWJC No-12129/2017 में  
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी